

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय- विभागान्तर्गत 7 (सात) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु अधिष्ठापित INTERNET LEASE LINE/BROADBAND के वार्षिक शुल्क एवं सेवा शुल्क आदि के भुगतानार्थ कुल रू. 64,12,320=00 (चौंसठ लाख बारह हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागान्तर्गत 7 (सात) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया, अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर, अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा एवं वी.पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा में छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु अधिष्ठापित INTERNET LEASE LINE/BROADBAND के वार्षिक शुल्क एवं सेवा शुल्क आदि के भुगतानार्थ कुल रू. 64,12,320=00 (चौंसठ लाख बारह हजार तीन सौ बीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्र०सं०	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम	9,44,000.00
2	लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा	5,90,000.00
3	अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी	22,03,000.00
4	अभियंत्रण महाविद्यालय, गया	9,29,000.00
5	अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	8,78,000.00
6	अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा	2,35,000.00
7	अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा	6,33,320.00
	<b>कुल योग</b>	<b>64,12,320.00</b>

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 112-इंजीनियरी / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष- 0101- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 13 03 दूरभाष विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001120101 है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागारों से की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / -  
(मिर्जा आरिफ रजा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(IV) यो.-35/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(IV) यो.-35/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सासाराम, छपरा, मातिहारी, गया, बाढ़ (पटना), दरभंगा एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(IV) यो.-35/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया, अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर, अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा एवं वी.पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(IV) यो.-35/2019-

845

/पटना, दिनांक-

21/3/2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

21/3/20